बिहार विधान परिषद

(बिहार विधान परिषद् का 194वां बजट सत्र)

04 मार्च 2020

[सामान्य प्रशासन - राजस्व एवं भूमि सुधार - पर्यटन - नगर विकास एवं आवास - सहकारिता - खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण - सूचना एवं जनसम्पर्क - आपदा प्रबंधन - मंत्रिमंडल सचिवालय - निगरानी - निर्वाचन सूचना प्रौद्योगिकी].

20

तालाबों का जीर्णोद्धार

*20 **प्रो. नवल किशोर यादव (शिक्षक पटना):**

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि जल-जीवन –हरियाली कार्यक्रम के तहत ग्रामीण इलाकों के अतिरिक्त शहरी एवं अर्द्धशहरी क्षेत्रों में भी स्थित तालाबों के जीर्णोद्धार करने की जिम्मेवारी विभाग की है;

(ख) क्या यह सही है कि पटना स्थित गर्दनीबाग, मीठापुर फार्म तथा पटना सिटी स्थित पुराने तालाबों सहित अन्य तालाबों की खुदाई एवं वृक्षारोपण कार्य नहीं हो सका है, जिससे इन तालाबों का विकास लुप्त होता जा रहा है;

(ग) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार इन तालाबों के अन्य शहरी एवं अर्द्धशहरी जीर्ण-शीर्ण तालाबों का आकलन कर जल-जीवन-हरियाली कार्यक्रम के तहत जीर्णोद्धार तथा सौंदर्यीकरण करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

जलापूर्ति सुनिश्चित

*30 **डा. रामवचन राय (मनोनीत):**

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि पटना सिटी के मोगलपुरा मुहल्ला के दुरूखी–मुर्गियाचक गली में जलापूर्ति हेतु बिछाए गए पाइप लाइन जर्जर हो जाने के कारण गली में जलापूर्ति बाधित है;

(ख) क्या यह सही है कि पाइप लाइन बदलकर जलापूर्ति सुनिश्चित करने हेतु सरकारी अधिकारियों द्वारा बार- बार आश्वासन दिया गया है परन्तु अब तक जलापूर्ति नहीं हो पायी है ;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार मुर्गियाचक गली के जर्जर पाइप लाइन को बदलकर जलापूर्ति सुनिश्चित करना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

सड़क का निर्माण

*32 **श्री रामचन्द्र भारती (मनोनीत):**

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, नगर विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि गर्दनीबाग मोहल्लावासियों को मुख्य सड़क से जोड़ने वाली रोड नं.- 1 से 32 तक सभी सड़कें जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं;

(ख) क्या यह सही है कि गर्दनीबाग अस्पताल के पास हड़तालियों के लिए सड़क बंद कर दिये जाने के कारण आवागमन में काफी कठिनाई होती है;

(ग) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार रोड नं.- 15 से रोड नं- 6 'डी' होते हुए रोड नं.- 1 निचली रोड से भिखारी ठाकुर पुल तक टू-लेन सड़क का निर्माण कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

अन्य प्रदेशों के लिए आरक्षण

*108 **डा. संजीव कुमार सिंह (कोशी शिक्षक):**

सामान्य प्रशासन :-

क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि सभी प्रकार के आरक्षित वर्गों के लिए राज्य में होने वाली नियुक्तियों में कुल 60 प्रतिशत पद आरक्षित है, जबकि शेष 40 प्रतिशत पद गैर आरक्षित

वर्ग तथा अन्य प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं;

(ख) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार राज्य के गैर आरक्षित वर्गों के लिए शेष बचे 40 प्रतिशत में से 30 प्रतिशत कर्णांकित करने का विचार और 10 प्रतिशत अन्य प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

स्ट्रीट लाइट कबतक

*109 **श्री रामचन्द्र पूर्वे (विधान सभा):**

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि राज्य के सभी 142 नगर निकायों में 5 लाख 20 हजार स्ट्रीट लाइट लगाने का काम इनर्जी इफिशियेंसी सर्विस लिमिटेड को जून 2017 में दिया गया जिसको दो वर्षों में पूरा करना था ;

(ख) क्या यह सही है कि अभी तक मात्र 49 निकायों में ही 3 लाख 53 हजार स्ट्रीट लाइट लगायी गयी है, यदि हां तो शेष निकायों में स्ट्रीट लाइट नहीं लगाए जाने का क्या औचित्य है ?

कचड़ा के लिए स्थाई डपिंग जोन

*110 **श्री आदित्य नारायण पाण्डेय (गोपालगंज स्थानीय प्राधिकार):**

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि गोपालगंज शहर में कचरा एकत्रित करने के लिए शहर में डंपिंग जोन नहीं है ;

(ख) क्या यह सही है कि नगर परिषद् द्वारा एन.एच. – 28 पर छवही के समीप कचरा डंप किया जा रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार स्थाई डपिंग जोन बनायेगी, नहीं तो क्यों?

अतिक्रमण से मुक्त

*111 **श्री कृष्ण कुमार सिंह (विधान सभा):**

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि गया शहर (गया जी) एक धरोहर नगरी है जहां प्रतिवर्ष लाखों यात्री सड़क, रेल और वायुयान से आते हैं;

(ख) क्या यह सही है कि गया शहर के सभी मुख्य मार्ग की दोनों पटरी अतिक्रमित है;

(ग) क्या यह सही है कि उपरोक्त के कारण पूरे शहर में हमेशा जाम की स्थिति तथा गंदगी बनी रहती है;

(घ) क्या यह सही है कि शहर के व्यस्ततम मार्ग, जी.बी.रोड, स्टेशन रोड, बुनियादगंज रोड, नई गोदाम, के.पी.रोड, राजेन्द्र टावर, रजिस्ट्री कार्यालय, मेडिकल कॉलेज रोड पर अतिक्रमण के कारण जाम की समस्या से लोगों को पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है;

(ड़) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार अभियान चलाकर इस धरोहर नगरी को अतिक्रमण मुक्त करना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

अमीन की नियुक्ति

*112 **श्री रजनीश कुमार (बेगूसराय स्थानीय प्राधिकार):**

राजस्व एवं भूमि सुधार :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

क. क्या यह सही है कि राज्य के अन्दर सरकारी मानकों के अनुरूप 1802 अमीनों के स्वीकृत पद हैं पर सिर्फ 256 से काम चलाया जा रहा है?

ख. क्या यह सही है कि सरकारी अमीन के कमी के कारण आम रैयत एवं किसान परेशान हैं एवं भूमि विवाद अनसुलझे पड़े हैं?

ग. क्या यह सही है कि सरकारी अमीन के कमी के कारण भूमि विवाद बढ़ रहा है, जिसके कारण राज्य के अन्दर कानून और व्यवस्था पर भी इसका असर पड़ रहा है?

घ. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार अतिशीघ्र अमीन के स्वीकृत पदों पर अमीनों की स्थायी बहाली का विचार रखती है यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

अतिक्रमण से मुक्त

***113** **श्री केदार नाथ पाण्डेय (सारण शिक्षक):**

राजस्व एवं भूमि सुधार :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि माननीय मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट जल-जीवन-हरियाली अभियान राज्य में संचालित है;

(ख) क्या यह सही है कि सीवान जिले के मेहदार स्थित 52 एकड़ का तालाब आज तक अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार कब तक खंड 'ख' में वर्णित तालाब को अतिक्रमण मुक्त कराना चाहती है ?

दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई

***114** **श्री राधाचरण साह (स्थानीय प्राधिकार, भोजपुर एवं बक्सर):**

पर्यटन :-

क्या मंत्री, पर्यटन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा 2012 में पर्यटकों को सैर कराने के लिए डबल डेकर ए.सी. तीन बस खरीदी गयी थी ;

(ख) क्या यह सही है कि बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा तीनों ए.सी. बस कितनी राशि में कब खरीदी गयी थी, विभाग के पास तीनों बस उपलब्ध हैं;

(ग) क्या यह सही है कि अधिकारियों की लापरवाही से अब तक दो बसों का पता नहीं चला और तीनों बसों की राशि वर्ष 2012 में ही भुगतान कर दी गई है;

(घ) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार दोषी पदाधिकारियों पर कबतक कार्रवाई करना चाहती है ?

पदाधिकारी पर कार्रवाई

***115** **प्रो. नवल किशोर यादव (शिक्षक पटना):**

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण :-

क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि पूरे राज्य में सरकार के रेकर्ड के अनुसार कबतक कितने राशन कार्ड निर्गत किये गये हैं;

(ख) क्या यह सही है कि इन राशनकार्ड के धारकों की वास्तविकता का पता लगाने का दायित्व किन-किन पदाधिकारियों पर है तथा उन पदाधिकारियों ने अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत माह में कितनी बार कार्डधारक का सत्यापन तथा निरीक्षण किया;

(ग) क्या यह सही है कि बिहार राज्य में 44 हजार फर्जी राशन कार्ड होने की सूचना समाचार माध्यमों में जनवरी माह में प्रकाशित एवं प्रसारित हुई है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार सभी कार्डधारकों का भौतिक सत्यापन कराने तथा अपना कार्य नहीं करनेवाले जिम्मेदार पदाधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

राशन कार्ड की आपूर्ति

*116 **श्री संजय प्रसाद (मुंगेर स्थानीय प्राधिकार):**

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण :-

क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि जमुई जिला अन्तर्गत चकाई प्रखंड के ग्राम – ठारी सतपोखरा की माधुरी बसमनिया, के गरीबी रेखा के अन्तर्गत आने वाले इस परिवार को आज तक एक भी राशन कार्ड जारी नहीं किया गया है जिसके चलते सभी ग्रामीण गरीबी रेखा के अन्तर्गत आने वाले परिवार को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार वर्णित सभी ग्रामवासियों को गरीबी रेखा के अन्तर्गत राशन कार्ड जारी करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

सुविधा सुनिश्चित कबतक

*117 **श्री सुमन कुमार (मधुबनी स्थानीय प्राधिकार):**

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि नगर एवं आवास विभाग राज्य में स्वच्छता बहाल

करने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास कर रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि मधुबनी नगर परिषद् द्वारा स्वच्छता एवं अन्य सुविधा मुहैया कराने के एवज में होल्डिंग टैक्स लिया जाता है;

(ग) क्या यह सही है कि नागरिक सुविधाओं को धरातल पर उतारने के लिए करोड़ों रुपए का अपव्यय होता है;

(घ) क्या यह सही है कि छः माह पूर्व नगर परिषद् द्वारा डोर टू डोर कचरा उठाव के लिए प्रत्येक वार्ड में दो- दो रिक्शा मुहैया करायी गयी थी लेकिन अधिकांश वार्डों में रिक्शा शोभा की वस्तु बनकर रह गयी है;

(ड) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मधुबनी नगर परिषद् अंतर्गत नागरिक सुविधाओं का ख्याल रखते हुए स्वच्छता एवं अन्य सुविधा बहाल कराना चाहती है, यदि नहीं तो क्यों, हां तो कबतक ?

खाता संख्या का शुद्धिकरण

*118 **श्री रामचन्द्र भारती (मनोनीत):**

राजस्व एवं भूमि सुधार :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि पटना जिलान्तर्गत विक्रम प्रखंड के ग्राम- नारायणपुर के जमाबंदी सं.- 93 में श्री कमलेश सिंह के प्लॉट सं.- 1833 का खाता सं.- 497 कम्प्यूटर में दर्ज है जो गलत है;

(ख) क्या यह सही है कि प्लॉट सं.- 1833 का खाता स.- 479 है;

(ग) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खाता सं.- 497 को विलोपित कर 479 दर्ज करना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

अतिक्रमण से मुक्त

*119 **डा. दिलीप कुमार चौधरी (स्नातक दरभंगा):**

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि जल, जीवन, हरियाली, तालाब और अन्य जल संरक्षण क्षेत्र का संरक्षण एवं संवर्द्धन सरकार की प्राथमिकता है;

(ख)		क्या यह सही है कि दरभंगा रेल स्टेशन का कचरा बगल के दिग्घी पोखर में फेंका जा रहा है जिससे वहां का पानी विषैला हो रहा है;

(ग)	क्या यह सही है कि दरभंगा स्टेशन के सामने हड़ाही तालाब के किनारों को अतिक्रमित किया जा रहा है परन्तु अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है;

(घ)	यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार हड़ाही एवं दिग्घी तालाब को प्रदूषण एवं अतिक्रमण से बचाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

स्टोर प्वांइट का स्थानांतरण

*120	**श्री सलमान रागीब (स्थानीय प्राधिकार, नवादा)ः**

नगर विकास एवं आवास :-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क)	क्या यह सही है कि सीतामढ़ी जिला के पुपरी में जनकपुर रोड स्टेशन में गिट्टी, बालू एवं अन्य सामग्रियों के लिए रैक प्वाइंट है;

(ख)	क्या यह सही है कि रैकरों ने पुपरी शहर में बीचों-बीच सामग्रियों का स्टोर प्वांइट बना लिया है;

(ग)	क्या यह सही है कि इस स्टोर प्वाइंट के चारों ओर घनी आबादी बसी हुई है, जिसमें स्कूल, कोचिंग भी शामिल है;

(घ)	क्या यह सही है कि स्टोर प्वाइंट के चलते लोगों को अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और क्या स्टोर प्वाइंट को नियमानुसार अनुमति प्राप्त है;

(ङ)	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार इन स्टोर प्वाइंट को कहीं और ले जाना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

सदस्यता सूची को भेजने की कार्रवाई

*121	**श्री अर्जुन सहनी (विधान सभा)ः**

सहकारिता :-

क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि बिहार के बंटवारे के पश्चात बिहार सहकारी समिति अधिनियम 1935 के अन्तर्गत निबंधित राज्य मत्स्यजीवी सहकारी संघ लि. द मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002 की धारा 103 के अन्तर्गत स्वतः निबंधित हो गई है ;

(ख) क्या यह सही है कि निबंधन कार्यालय सहयोग समितियां, बिहार, पटना के पत्रांक – 3401, दिनांक - 20.04.2017 के द्वारा बिहार राज्य मत्स्यजीवी सहकारी संघ लि. को द मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002 की धारा 103 के अन्तर्गत स्वतः निबंधित होने की सूचना दी गई है;

(ग) क्या यह सही है कि केन्द्रीय निबंधन कार्यालय सहयोग समितियों, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान मंत्रालय, भारत सरकार ने 7 जून, 2019 के द्वारा बिहार राज्य मत्स्यजीवी सहकारी संघ लि0 से संबद्ध सदस्य समितियों की सूची की मांग की गई ताकि स्वतः निबंधन प्रमाण पत्र एवं निबंधित उपविधि निर्गत किया जा सके ;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार बताना चाहती है कि राज्य सरकार बिहार राज्य मत्स्यजीवी सहकारी संघ लि0 से संबद्ध सदस्य समितियों की सदस्यता सूची केन्द्रीय निबंधन सहयोग समितियां, नई दिल्ली को भेजना चाहती है ?

परियोजना का निर्माण

***122 श्री दिलीप राय (सीतामढी स्थानीय प्राधिकार):**

पर्यटन :-

क्या मंत्री, पर्यटन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण , शिवहर, सीतामढ़ी, मजुफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी एवं पूर्णिया आदि जिलों में पुरानी नील कोठियों के अवशेष एवं इसके साथ परती जमीन उपलब्ध है जिसका विकास कर बिहार पर्यटन का विस्तृत जाल बिछाया जा सकता है ;

(ख) क्या यह सही है कि पश्चिम चम्पारण के भिखना ठोढ़ी के एक भवन में ब्रिटिश सम्राट एवं उसके परिवारजन आकर विभिन्न अवसरों पर रुके थे परन्तु यह उपेक्षित पड़ा हुआ है;

(ग) क्या यह सही है कि इन नील कोठियों की पुरानी साज-सज्जा आजकल पर्यटकों की अभिरुचि का केन्द्र बन रहा है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य में नील कोठियों को केन्द्र में रखकर एक 'ग्रीन पर्यटन' की विस्तृत परियोजना का निर्माण कराना चाहती है ?

कार्रवाई कबतक

*123 **श्री सतीश कुमार (विधान सभा):**

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण :-

क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि पश्चिमी चम्पारण बेतिया जिला में वित्तीय वर्ष 2011-12, 12-13 एवं 13-14 में 18744.55 मेट्रिक टन चावल घोटाले में 56 मिलरों पर न्यायालय से पारित आदेश के आलोक में राज्य खाद्य निगम एवं एस.एफ.सी द्वारा कार्रवाई हेतु मिलरों के अचल संपत्ति का नीलाम पत्र वाद दायर किया जाना है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार उक्त चावल घोटाले से संबंधित कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई

*124 **श्री प्रेम चन्द्र मिश्रा (विधान सभा):**

राजस्व एवं भूमि सुधार :-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि उप निबंधन महानिरीक्षक, मद्य निषेध उत्पादन एवं निबंधन विभाग द्वारा राज्य के गोपालगंज , बेगूसराय, मुंगेर, नालन्दा, बक्सर, मुजफ्फरपुर, खगडि़या, समस्तीपुर आदि जिलों में असर्वेक्षित/ टोपोलैण्ड भूमि के निबंधन पर प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा दिनांक – 03.06.17 के आयोजित कार्यशाला पर आवश्यक कारवाई करते हुए पत्रांक – IV/एल-1-35/2016-3113, दिनांक – 20.07.17 द्वारा राज्य के सभी समाहर्त्ता (जिला निबंधक), जिला अवर निबंधक, सभी अवर निबंधक को निबंधन पर रोक लगाने का निदेश जारी किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि माननीय मुख्यमंत्री, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक – 11.09.2019 को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के स्तर से की गई समीक्षात्मक बैठक में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा विशेष सचिव के अध्यक्षता में समिति गठित कर अनुशंसा प्राप्त कर निर्धारित समय में टोपो लैण्ड एवं असर्वेक्षित भूमि के रैयतीकरण के संबंध में निर्देश दिया गया था;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो मुख्यमंत्री के निर्देश के बावजूद विशेष समिति का गठन नहीं करने एवं निर्धारित समय सीमा में नीति-निर्धारित करने वाले दोषी पदाधिकारी पर सरकार क्या कार्रवाई करने का विचार रखती है?